न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :–महीपाल सिंह, आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :–56 /2020

1. श्री गंगूनाथ S/o सुरजा नाथ नि० फाकोलिया

––प्रार्थी।

बनाम

1. श्री गिरधारी नाथ S/o लक्ष्मणनाथ जोगी नि० फाकोलिया-वगै०

––विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: निर्णय ::

दिनांक: 17/8/2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0 भू0 राज0 अधि01956 के हित प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फाकोलिया पटवार हल्का चितामा ...0अ0नि0 क्षेत्र चितामा में उनके खाता संख्या 170 की आ0नं0 433/0.05, 435/2/0.09, 530/3/0.01, 531/1/0.02, 532/0.04, 533/2/0.19, 1565/530/0.07, 1567/530/0.01, कुल क्षेत्र-8 एकड़ा 2.08 बिघा स्थित है। ादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा बंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 5/6/2020 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण ो अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से त्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की रा–फैरी होने का अदेंशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों ा देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम फाकोलिया पटवार हल्का चितामा भू0अ0नि0 क्षेत्र चितामा में उनके खाता संख्या 170 की आ0नं 433/0.05, 435/2/0.09, 530/3/0.01, 531/1/0.02, 532/0.04, 533/2/0.19, 1565/530/0.07, 1567/530/0.01 कुल क्षेत्र-8 एकड़ा 2.08 बिघा भूमि स्थित है। भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु भू.अ.नि0 चितामा को 500/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावे।

सलंग्न :–प्रार्थना पत्र प्रति।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा (जिला भीलवाड़ा)